UPMT010103732025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–811/2025

भण्डारी लाल व अन्य बनाम श्रीमती मलोदा

अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम,
थाना मगोर्रा, जिला मथुरा

दिनांक– 04.02.2026

1– पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। यह प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अपील दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जिस निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल किया जाना प्रस्तावित है, वह एकपक्षीय निर्णय/आदेश आदेश दिनांक 21.07.2025 को पारित हुआ था, जिसके विरूद्ध दिनांक 13.10.2025 को अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है। समर्थन में आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2025 को प्रकरण में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसकी तामील जरिये पुलिस थाना नगर, जिला डीग से दिनांक 12.09.2025 को हुई है। उक्त दिनांक की तामील से 30 दिवस अपील हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 11.10.2025 को पूर्ण होती है, परन्तु माह अक्टूबर में दिनांक 03.10.2025 को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोमल प्रसाद गौतम की मृत्यु हो जाने के कारण कन्डोलेंस हो गयी तथा दिनांक 04.10.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक बार एसोसिएशन, मथुरा के अधिवक्ता गोवा टूर पर चले जाने के कारण नोवर्क रहा तथा दिनांक 11.10.2025 को द्वितीय शनिवार होने के कारण एवं दिनांक 12.10.2025 को रविवार के अवकाश हो जाने के कारण न्यायालय का अवकाश रहा, लिहाजा बिना देरी कि निर्धारित समय अवधि 30 दिवस में अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गयी है, यदि न्यायालय अपील योजित करने में विलम्ब मानती है तो परिस्थितिवश देरी होना मानते हुए अपील दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर दिया जाये। प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र है।

2– विपक्षी श्रीमती मलोदा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी पर विलम्ब कारित करने का आरोप लगाते हुए परिसीमा का लाभ पाने का अधिकारी न होना बताया है और प्रार्थनापत्र को खारिज करने की मांग की है।

3– अभिलेख के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि प्रश्नगत एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 21.07.2025 को पारित हुआ था, प्रार्थी इस एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल करना चाहता है। अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए दिनांक 13.10.2025 को प्रार्थनापत्र दिया गया है। प्रार्थी का सशपथ कथन है कि आदेश की तामील जरिये पुलिस थाना नगर, जिला डीग से दिनांक 12.09.2025 को हुई है। उक्त दिनांक की तामील से 30 दिवस अपील हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 11.10.2025 को पूर्ण होती है, परन्तु माह अक्टूबर में दिनांक 03.10.2025 को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोमल प्रसाद गौतम की मृत्यु हो जाने के कारण कन्डोलेंस हो गयी तथा दिनांक 04.10.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक बार एसोसिएशन, मथुरा के अधिवक्ता गोवा टूर पर चले जाने के कारण नोवर्क रहा

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.02.04 15:49:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा दिनांक 11.10.2025 को द्वितीय शनिवार होने के कारण एवं दिनांक 12.10.2025 को रविवार के अवकाश हो जाने के कारण न्यायालय का अवकाश रहा, लिहाजा बिना देरी कि निर्धारित समय अवधि 30 दिवस में अपील प्रस्तुत की जा रही है न्याय की मंशा की है पक्षकारों को यथासम्भव सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

4– **ईसा भटटाचार्य जी बनाम मैनेजिंग कमेटी आफ रघुनाथपुर एकेडमी व अन्य (2013) 12 SCC 649** से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि ऐसे मामलों में उदारता का प्रयोग करना चाहिए और 'पर्याप्त कारण' पद को परिस्थितियों के सामान्य अनुक्रम में ही समझना चाहिए और विलम्ब जानबूझकर किया गया है, ऐसी कोई उपधारणा नहीं बनानी चाहिए।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त मार्गदर्शन के प्रकाश में इस मामले के तथ्यों को देखे जाने पर विलम्ब को क्षमा किया जाना विधि अपेक्षित प्रतीत हो रहा है। तदनुसार प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मु० 5000/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

बाद हर्जा अदायगी पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के लिए दिनांक 12.02.2026 को पेश हो।

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
ID UP1910